विधि विभाग

सत्यमेव जयते

कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

प्रस्तावना

झारखण्ड राज्य में अपनी तरह का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और-पेशेवर और व्यवसायिक शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए, अत्यधिक कुशल और रोजगार-योग्य युवा और उद्यमी बनाने के लिए, रोजगार-सृजन, स्वरोजगार, गिग-आधारित-कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च गुणवत्ता कौशल शिक्षा, उद्यमिता, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन, रोजगार में प्रशिक्षण, परामर्श, शिक्षुता, रोजगार में प्रशिक्षण, के वितरण को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग भागीदारी के साथ एकीकृत तरीके से प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को अपनी आय बढ़ाने के लिए रोजगार की सुविधा और स्वरोजगार मार्गदर्शन प्रदान करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों का समर्थन करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए उद्योग को नौकरी के लिए तैयार कार्यबल प्रदान करने के लिए, अंततः राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक मामलों में उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणतंत्र के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ:**

(1) इस अधिनियम को कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाऐं:** इस अधिनियम् में एवं इसके तहत् बनाये गये सभी विनियमों एवं परिनियम के अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो-

(क) "सहयोगी महाविद्यालय/संस्थान" में ऐसा महाविद्यालय या ऐसा संस्थान शामिल है जो कौशल विश्वविद्यालय के अलावा सरकार या अर्ध/क्वासी सरकारी/एस० पी० वी० एजेंसियों द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किया जाता

है, और इस अधिनियम् के तहत् कौशल विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रविष्ट हैं;

(ख) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत् निर्दिष्ट कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकार;

(ग) "उत्कृष्टता केन्द्र" से अभिप्रेत है अत्याधुनिक प्रशिक्षण या अनुसंधान केन्द्र, जो उद्योग के सहयोग से या उद्योग और समाज के लाभ के लिए, छात्रों, सेवारत कर्मचारियों, कार्यरत पेशेवरों को सभी प्रकार के प्रासंगिक कौशल प्रदान करने के लिए और संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्थापित किया गया हो;

(घ) "समुदायिक महाविद्यालय" से अभिप्रेत है कौशल आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने वाला संस्थान, जिसें विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(ङ) "अंशदान" चाहे उसे शुल्क सहित किसी भी नाम से पुकारा जाए, का अर्थ है कौशल विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थानों कौशल केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों द्वारा किए गए मौद्रिक संग्रह, जैसा भी मामला हो, जिसमें प्रशिक्षण, अधिगम एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी) के ट्यूशन खर्च शामिल हैं, वर्तमान आधारभूत संरचना, उपयोगिताओं की स्थापना, रख-रखाव और छात्रों/प्रायोजकों से किसी भी अन्य आकस्मिक खर्च सहित चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(च) "अंगीभूत महाविद्यालय/संस्थान" का अर्थ कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्थान से है;

(छ) "डिजिटल लर्निंग" का अर्थ है प्रारम्भ से अंत तक पूर्णरुपेण आनलाईन शिक्षा, तुल्यकालिक या अतुल्यकालिक, जिसमें भौतिक प्रयोगशाला या भौतिक स्थान पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह इन्टरनेट, ई-लर्निंग सामग्री का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के अलगाव पर काबू पाने और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त तंत्र और संसाधनों का उपयोग करके इन्टरनेट के माध्यम से पूर्ण कार्यक्रम वितरण द्वारा लचीले शिक्षण का अवसर प्रदान करने का तरीका;

(ज) "सरकार" या "राज्य सरकार" का अर्थ है झारखण्ड सरकार;

(झ) "अधिसूचना" का अर्थ है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(ञ) "मुक्त और दूरस्थ शिक्षा" का अर्थ है, संचार के एक से अधिक साधनों के संयोजन द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अर्थात् प्रसारण, सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), पत्राचार पाठ्यक्रम, ऑनाईलन, डिजिटल, मिश्रित मोड, संम्पर्क कार्यक्रम और ऐसी कोई अन्य पद्धति। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी पर नियंत्रण के लिए लचीले शिक्षण का अवसर प्रदान करना, जिसमें प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाईन और सामायिक परस्पर संवाद के लिए शिक्षार्थी के साथ आमने-सामने की बैठकें सम्मिलित हैं जिसमें शिक्षण देने-सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए प्रायोगिक कार्य या कार्यानुभव शामिल हैं;

(ट) "विनियम" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कौशल विश्वविद्यालय के विनियम;

(ठ) "अनुसूची" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए कौशल विश्वविद्यालय की अनूसूची;

(ड) "धारा" अर्थ है इस अधिनियम की एक धारा;

(ढ) "राज्य" का अर्थ है झारखण्ड राज्य;

(ण) "विद्यार्थी" का अर्थ है कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य शैक्षणिक योग्यता के अध्ययन के लिए नामांकित व्यक्ति;

(त) "अध्ययन केन्द्र" का अर्थ है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों को सलाह देने, परामर्श देने या किसी अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केन्द्र;

(थ) "कौशल केन्द्र या सेटेलाइट केन्द्र या विद्यालय" का अर्थ है, उद्योग, छात्रों और स्थानीय जनसंख्या के लाभ के लिए व्यवसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र;

(द) "कौशल विश्वविद्यालय" का अर्थ है कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय, झारखण्ड;

(ध) "शिक्षक" का अर्थ है संकायों अभ्यासी शिक्षक, अभ्यास के प्राध्यापक, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके पास उपयुक्त पदवी हो, जिन्हें कौशल विश्वविद्यालय या किसी भी महाविद्यालय या संस्थान में निर्देश देने, प्रशिक्षण देने या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है;

(न) "व्यवसायिक शिक्षा" में योग्यता-निर्माण-मॉड्यूल, व्यवसायिक पाठ्यक्रम, निरंतर शिक्षा के लिए क्रेडिट-आधारित-निरंतरता या ऑन-द-गो लर्निंग शामिल है जो कि समग्र जीवन में एक बार की डिग्री-आधारित शिक्षाशास्त्र की तुलना में कौशल-आधारित रोजगार क्षमता पर केन्द्रित है।

3. **निगमन:**

(1) 'कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय' के नाम से एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) कौशल विश्वविद्यालय उपर्युक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सम्पत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान व अनुबंध आदि की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(3) कौशल विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, कुलपति, प्रति कुलाधिपति, कुलसचिव, मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी, प्रत्यायक संकायाध्यक्ष, शासी परिषद्, सिनेट, व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, प्रत्यायक परिषद् और अन्य सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो आगे चलकर ऐसे पदाधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक की वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहते हैं।

(4) कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राज्य के स्वामित्व वाले ऐसे परिसर (परिसरों) में होगा जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है। कौशल विश्वविद्यालय अपने परिसरों जिसमें पॉलिटेकनिक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०), सामुदायिक महाविद्यालय, कौशल केन्द्र और डिजिटल

लर्निंग अध्ययन केन्द्र सम्मिलित हैं, को ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित व अनुरक्षित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(5) कौशल विश्वविद्यालय हर समय सभी प्रवृत कानूनों व भूमि विनियमों का पालन करेगा।

4. राज्य नोडल ऐजेंसी:

(1) प्रेझा फाउंडेशन, झारखण्ड सरकार की एक विशेष प्रयोजन संवाहक, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना संख्या-24, दिनांक 27.07.2016 के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित है, सहवर्ती राज्य नोडल एजेंसी होगी, जो कि डिजाईन, स्थापना, संचालन और कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करेगी। इसके बाद इसे 'नोडल एजेंसी' के रूप में उल्लेखित किया गया है।

(2) प्रेझा फाउंडेशन के निदेशक मंडल के पास राज्य सरकार से शक्तियों का पूर्ण प्रतिनिधान होगा जो कौशल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए अंतिम प्राधिकार होगा तथा इसे कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार को ऐसे शक्ति प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी, जैसा वह उचित समझे। इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में कोई भी संशोधन, चाहे जोड़ना, हटाना या अन्य, नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से उचित अनुशंसा के अधीन औपचारिक अनुमोदन के आधार पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम में, अनुसूची में संशोधन को छोड़कर, कोई भी संशोधन केवल राज्य विधानसभा द्वारा नोडल ऐजेंसी को ऐसे प्रस्ताव शासी परिषद् के सभी मतदान के पात्र सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत के साथ प्राप्त होने के बाद नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से औपचारिक अनुमोदन के आधार पर सर्वसम्मति से या कम से कम सभी मतदान के पात्र सदस्यों का तीन-चैथाई बहुमत के आधार पर उचित अनुशंसा के अधीन किया जा सकता है।

(4) नोडल एजेंसी के पास पूर्व विद्यार्थी का डेटाबेस/ ऑनलाईन डोमेन ब्रांडिग सहित सभी डिजिटल संपतियों का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट होगा, जिसमें

कौशल विश्वविद्यालय का लोगो/शीर्षक (जैसा कि धारा 3(1) में निर्धारित है) और कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख से उत्पन्न प्रज्ञात्मक संपत्ति शामिल है जो किसी भी समय सीमा के होते हुए भी नोडल एजेंसी में निहित होगी।

5. **शिक्षाशास्त्र, संरचना तथा कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्य:**

(1) कौशल विश्वविद्यालय का शिक्षाशास्त्र:-

व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला कौशल विश्वविद्यालय अपनी स्थापना, कामकाज और उद्देश्यों में अकादमिक विश्वविद्यालय, जो कि उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, से निम्नलिखित रूप में अलग होगा:

(क) व्यवसायिक शिक्षा उन उम्मीदवारों के लिए खोज का विकल्प होगा जो व्यावसायिक रूप से शिल्प, व्यापार या उद्यमिता के लिए जुनून रखते हैं या जिन्हें न्यूनतम अवसर लागत के साथ रोजगार योग्यता की आवश्यकता होती है।

(ख) कौशल-आधारित रोजगार क्षमता स्वरोजगार और गिग उद्योग आदि को सक्षम करने के लिए योग्यता-निर्माण-मॉड्यूल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि के डिजाइन और वितरण पर ध्यान देना। व्यावसायिक शिक्षा की परिणति अध्ययन के किसी भी विषय में अकादमिक अनुसंधान और सैद्धांतिक हितों की खोज करने की तुलना में व्यावहारिक व्यापार के निपुण होने में है।

(ग) प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, आदि सहित क्रेडिट आधारित-सातत्य के माध्यम से प्रत्यय-पत्र प्रदान करना। पारंपरिक आजीवन एक बार की डिग्री-आधारित शैक्षणिक योग्यताओं के लिए शिक्षाशास्त्र की तुलना में 'शिक्षार्थी केंद्रित' शिक्षा प्रतिमान को प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्ययन, अनुभव और अभ्यास की परिणति सहित जहाँ आवश्यक हो, डिग्री की पेशकश की जा सकती है।

(घ) ऑन कैंपस से लेकर ऑफ कैंपस, डिजीटल, ऑनसाईट तथा रोजगार में प्रशिक्षण माध्यम सहित विभिन्न मिश्रित माध्यमों में सीखने के साथ अनुभावत्मक शिक्षा, उद्योग के बाद का अनुभव उद्यमिता के बड़े आख्यान को बढ़ाने हेतु निरंतर शिक्षा या सक्रिय ज्ञान, विशेष रुप से अभ्यासियों के लिए 'कमाते समय ज्ञान' प्रदान करना।

(ङ) मांग-समन्वयित पाठयक्रम, राष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय उद्योग भागीदारी के साथ शिक्षार्थी-केन्द्रीयता के आधार पर कौशल विश्वविद्यालय के पास नवोन्मेषी दृष्टिकोणों के लिए परिवर्तनीयता होगी, जो तेज गति वाले, उद्योग संरेखित प्रौद्योगिकी अंतर्निहित, स्वभाव में प्रतिरुपक, डोमेन के ज्ञान और योग्यता पर केन्द्रित होगी, जिसमें उद्योग विशेषज्ञता, बाजार आधारित शिक्षाशास्त्र के साथ कई हित धारक शामिल हों।

(च) कौशल विश्वविद्यालय उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में, मांग-आकलन और कौशल-अंतराल, भविष्य के अनुमानों आदि के आधार पर प्रासंगिक होने के लिए बाजार और उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए अपने शासन, पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, डिग्री सहित प्रमाण-पत्र प्रदान करना, पूर्व शिक्षा की मान्यता आदि में आवश्यक परिवर्तन, संशोधन और बदलाव लाएगा।

(छ) कौशल विश्वविद्यालय के शिक्षक सामान्यतः सक्षम अभ्यासु होंगे जिनके पास कार्य अनुभव होगा या वो कुशल पेशेवर होंगे।

(2) कौशल विश्वविद्यालय कुशल व्यावसायिक शिक्षा वितरण प्रदान करने के लिए एक स्तरीय दृष्टिकोण का पालन करेगा:-

(क) क्रेडिट-आधारित सातत्य के माध्यम से रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रम/मॉड्यूल; अंतराष्ट्रीय मानकों या बाजार की आवश्यकताओं या राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना या राष्ट्रीय व राज्य शिक्षा नीति के अनुरूप, प्रमाणन के विभिन्न स्तरों पर कौशल आधारित कार्यक्रमों की पेशकश की जाएगी। जहाँ डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता होगी, उसे कौशल विश्वविद्यालय के शासी परिषद्

सहित द्वारा निर्धारित लागू मानदंडो एवं मानकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(ख) विभिन्न कुशल पेशेवरों के कैरियर की प्रगति को सक्षम करने के लिए 'प्रेक्टिशनर-ऑन-द-गो-शिक्षा' प्रतिमान के आधार पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा धारकों के लिए उन्नत डिप्लोमा से स्नातक तक की सत शिक्षा जारी रखी जाएगी। जहाँ डिग्री प्रदान करने की आवश्यकता होगी, उसे कौशल विश्वविद्यालय के शासी परिषद् द्वारा निर्धारित ऑन-गो-शिक्षा जारी रखने के लिए लागू मानदंडो तथा मानकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) डिजिटल लर्निंग भी प्रदान की जाएगी जहाँ इसे सीखने का अनुप्रयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित डोमेन की दिशा में हो और जहाँ रोजगार के अवसर आमतौर पर आभासी डोमेन में हो।

(3) कौशल विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योग द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल शिक्षा में गुणवत्ता की अग्रणी संस्थान के रूप उभरना;

(ख) कार्य या उद्यमिता में सीधे प्रवेश करने या एक स्टार्ट-अप प्रारम्भ करने में रूचि रखने वाले छात्रों को कैरियर-उन्मुख शिक्षा और कौशल प्रदान करना;

(ग) अध्ययन, व्यापार व उद्योग आदि के क्षेत्रों में जिसमें नौकरियाँ उपलब्ध है या भविष्य में सृजित होने की संभावना है, या एक स्टार्ट-अप प्रारम्भ किया जा सकता है, जिसमें रोजगार क्षमता को बढ़ाने वाले कौशल प्रदान करना शामिल है, समय-समय पर प्रासंगिक डोमेन और विशेषज्ञता के व्यापक श्रेणियों को शामिल करते हुए शिक्षण, उद्यमशीलता प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रदान करना;

(घ) कौशल शिक्षा के लिए निर्धारित राष्ट्रीय या राज्य योग्यता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर कौशल दक्षता और योग्यता के साथ योग्य युवाओं का विकास करना;

(ङ) कौशल शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता को एक एकीकृत और समग्र तरीके से बढ़ावा देना ताकि कैरियर की प्रगति और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए मार्ग सुनिश्चित किया जा सके;

(च) लचीली शिक्षण प्रणालियों के लिए अवसर प्रदान करना और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आजीवन निरंतर सीखने और कौशल विकास के लिए एक माध्यम प्रदान करना;

(छ) स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण के साथ उद्यमशीलता उन्मुखीकरण प्रदान करना;

(ज) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोण और प्रणालियों के लिए उपयुक्त पारंपरिक या मिश्रित या दूरस्थ या खुली या ऑनलाईन शिक्षा और अन्य वितरण मॉड्यूल के माध्यम से पेश किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को जीवन भर और निरंतर प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना;

(झ) योग्यता आधारित कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली तैयार करना;

(ञ) बाजार और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण, पेशेवर और कौशल-आधारित प्रशिक्षण पर केंद्रित एक शिक्षण अध्यापन प्रदान करना;

(ट) किसी अन्य महाविद्यालय, संस्थान, विश्वविद्यालय, संगठन या निकाय आदि के सहयोग से कौशल विकास प्रयासों के समर्थन में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रचलनों का आदान-प्रदान करना;

(ठ) शैक्षणिक संरचनाओं, सीखने की समय-सीमा, रचनात्मकता को पोषित करने और विकसित करने और उद्यमशीलता को सक्षम करने के लिए निरंतर मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सहजता के निर्माण के लिए नवीन दृष्टिकोण स्थापित करना;

(ड) नवीनतम सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, शिक्षार्थियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण संसाधनों को प्रदान करने के लिए पहुँच से बाहर लोगों तक पहुँचना;

(ढ) मानव संसाधनों यथा-कौशल विश्वविद्यालय एवं अन्य कौशल प्रदान करने वाली संस्थाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करना;

(ण) नए उभरते हुए क्षेत्रों में नवोन्मेषी दृष्टिकोण के साथ कौशल विकास कार्यक्रम, सॉफ्ट स्किल, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना;

(त) ऐसा शिक्षाशास्त्र प्रदान करना, जो शिक्षा के कई रूपों और शिक्षण अध्यापन और पाठ्यक्रम वितरण (मिश्रित या दूरस्थ या खुला या ऑनलाईन या कौशल या अन्य) को जोड़ता है और इस प्रकार एक 'आभासी परिसर' प्रदान करता है, जहाँ विद्यार्थी, अनुभवी शिक्षकों और उद्योग के सदस्यों, के साथ विकसित होने आऐंगे;

(थ) सरकारी और अर्ध-सरकारी एजेंसियों एवं सार्वजनिक और निजी उद्योगों को परामर्श प्रदान करना;

(द) बाजार और उद्योग की कुशल जनशक्ति की जरूरतों या आवश्यकताओं के निर्धारण के उद्देश्य से उद्योग के साथ परामर्श और साझेदारी में अध्ययन और प्रशिक्षण मॉड्यूल के पाठ्यक्रम तैयार और डिजाईन करना तथा कौशल में कमियों का विश्लेषण करना;

(ध) पारस्परिक लाभ के लिए उद्योग और संस्थानों को आमंत्रित करते हुए एक उद्योग अकादमिक साझेदारी बनाना;

(न) यह सुनिश्चित करना कि डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का मानक रोजगार तथा उद्यमिता, नवाचार और स्टार्ट-अप के शुभारंभ के लिए, बाजार और उद्योग की जरूरतों के संबंध में उपयुक्त है;

(प) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, प्रकाशनों, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल ज्ञान का प्रसार करना;

(फ) व्यापार, उद्योग एवं संस्थानों, विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं या एजेंसियों या राज्य के भीतर या अन्य राज्यों या भारत के केंद्र

शासित प्रदेशों या विदेशों से प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए, संयुक्त कार्यक्रम या पाठ्यक्रम या अनुसंधान की पेशकश करने के लिए या शिक्षकों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के लिए या जानकारी और सर्वोत्तम प्रचलनों को साझा करने के लिए, और विद्यार्थियों के लाभ के लिए उपकरण या संसाधन या अनुदान या परामर्श देना या प्राप्त करना;

(ब) उच्च विकास क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों की पेशकश करके विद्यार्थियों को तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को लाभकारी रोजगार परकता एवं शीर्ष गतिशीलता के लिए विभिन्न विशेषज्ञता प्रदान करना;

(भ) आवश्यक कौशल तथा सहायता प्रणाली प्रदान करके उद्यमियों का निर्माण करना;

(म) उत्पादों, सेवाओं, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक कार्यप्रणाली के माध्यम से, अनुकूल ज्ञान और नवाचार को सक्षम करने के लिए, प्रयोगशालाओं के माध्यम से कार्रवाई अनुसंधान का अनुशीलन करना; तथा

(य) कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी अन्य ध्येय को अग्रेतर करना।

6. **क्षेत्राधिकार का उपयोग** : कौशल विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण झारखण्ड में करेगा:

(क) परन्तु यह कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र गैर-अनन्य तरीके से पूरे झारखण्ड राज्य में विस्तारित होगा, जिसमें व्यावसायिक, कौशल आधारित शिक्षा, उद्यमिता और विकास पर ध्यान देने के साथ शिक्षण या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान करने वाली संस्थाओं से संबंधित मामले शामिल हैं।

(ख) परन्तु यह कि डिजिटल लर्निंग प्रदान करने के मामलों में, इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में कौशल

विश्वविद्यालय के भौतिक भौगोलिक क्षेत्राधिकार की कोई सीमा नहीं होगी।

7. **अनाधिकृत संस्थानों द्वारा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करने, अनुदान करने या जारी करने पर रोक:** कोई भी असंबद्ध या गैर-मान्यता प्राप्त या गैर-सहयोगी महाविद्यालय या संस्थान या विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय की ओर से, किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को प्रदान, अनुदान या जारी नही करेगा, जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान या जारी किए गए किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के समान या रंगीन नकल है।

8. **कौशल विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कार्य** : कौशल विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कार्य करेगाः-

(1) कौशल, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता के उभरते क्षेत्रों में सुविधाऐं, प्रशिक्षण प्रदान करना, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की नए सीमाऐं तथा राष्ट्रीय कौशल आयोग संरचना में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं;

(2) उभरते रूझानों को समझने के लिए श्रम बाजार की आवश्यकताओं में अनुसंधान करना;

(3) रोजगारपरकता और उद्यमिता सहित शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल विकास के नवीन मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए भारत या विदेशों में किसी भी संगठन के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और हिमायत करना;

(4) कौशल शिक्षा के अंगीभूत/सहयोगी संस्थानों के रूप में स्थापित करना और मान्यता देना, ऐसे तरीकों और ऐसे मानकों के अनुसार, जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;

(5) डिजिटल शिक्षा माध्यम सहित पारंपरिक और साथ ही नए अभिनव तरीकों के माध्यम से पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन, शिक्षण और अनुसंधान के संबंध में प्रावधान करने या और सभी उपायों (पाठ्यक्रम को अपनाने और अद्यतन करने सहित) को अपनाना;

(6) समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शैक्षणिक सुविधाओं के प्रसार के लिए विशेष उपाय करना;

(7) कौशल विकास के शिक्षा शास्त्र अनुरूप विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली स्थापित करना;

(8) विद्यार्थियों को व्यापार/योग्यता परीक्षणों के साथ या बिना सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय, बैंकिग एवं हस्तांतरण पूर्व आवश्यकताओं के सहित या बिना बहु-प्रवेश-बहु निकास की सुविधा प्रदान करना;

(9) बहु-प्रवेश और बहु निकास, पूर्व शिक्षा की मान्यता, ऋण बैंकिग और हस्तांतरण, ऋण माफी, शीर्ष और पार्श्व गतिशीलता और ऐसी कोई अन्य योजना जो बड़े पैमाने पर कौशल विकास को बढ़ावा देती है, के लिए योजना स्थापित करना;

(10) राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानकों सहित क्रेडिट ढांचे को विकसित करना;

(11) विभिन्न स्तरों पर कौशल पाठ्यक्रम संकुल विकसित करना जैसा कि कौशल विश्वविद्यालय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों या राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है;

(12) कौशल विश्वविद्यालय के अनुरूप कौशल शिक्षा, शिक्षण और निर्देश के मानकों को क्रेडिट ढांचे और पाठ्यक्रम संकुल के अनुरूप, परिभाषित करना और उन्हे रोजगारोन्मुख बनाना;

(13) प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक, स्नातकोतर, डॉक्टरेट और अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक पूर्व योग्यता के साथ या बिना पूर्व शिक्षा/योग्यता/अनुभव की मान्यता के लिए इन विशिष्टताओं/प्रत्यायों के अनुमोदन के लिए प्रत्यायक परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानद विशिष्टता प्रदान करना;

(14) छात्र के किसी भी स्तर के डिग्री के बाद अपने दम पर रोजगार की तलाश करने में सक्षम बनाना और जब भी संभव हो, योग्यता या कौशल दक्षताओं

का उन्नयन करने के लिए कार्य वर्णन में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास के माध्यम से वापस शामिल होने के लिए सक्षम बनाना;

(15) रोजगार बाजार में मांग के अनुसार डोमेन क्षेत्रों में कार्यक्रमों की पेशकश, संशोधन या बंद करना;

(16) उद्योग भागीदार (रों), उद्योग संघों, क्षेत्र कौशल परिषदों आदि के परामर्श से पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली विशिष्ट कार्य भूमिका (ओं) पर निर्णय लेना;

(17) विद्यार्थियों के ऑन-साइट कौशल प्रशिक्षण की सुविधा के लिए प्रासंगिक उद्योग भागीदारी के साथ एकरारनामा करना;

(18) उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और असंगठित कार्यबल को शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना;

(19) नवाचार प्रयोगशालाओं, सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों, कार्यशालायों की स्थापना तथा शासन के सभी पहलुओं में सक्रिय भागीदारी पाठ्यक्रम डिजाईन, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, परामर्श, संयुक्त परियोजनाओं आदि के माध्यम से औद्योगिक संघो की भागीदारी को प्रोत्साहित करना;

(20) राज्य और देश के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर छात्र सेवा प्रदान करने के लिए परिसरों, क्षेत्रीय केन्द्रों, कौशल केन्द्रों, सामुदायिक महाविद्यालयों, अध्ययन केन्द्रों, सूचना केन्द्रों, प्रशिक्षण या परीक्षा केन्द्रों, उत्कृष्टता केन्द्रों आदि की स्थापना करना और शिक्षा, परामर्श सूचना और प्रशिक्षण का प्रसार करना;

(21) युवाओं में कौशल के क्षेत्र में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना;

(22) युवाओं के बीच कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श को बढावा देना;

(23) कौशल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा के मानदंडों या ज्ञान और योग्यता के मूल्यांकन के किसी अन्य उपाय को परिभाषित करना;

(24) परीक्षा आयोजित करना या ज्ञान अथवा योग्यता का अन्य मूल्यांकन करना या परीक्षा या संस्थान की अन्य मूल्यांकन प्रणाली को मान्यता देना जैसा कौशल विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे;

(25) कौशल और उद्यमिता में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उद्योगों, कंपनियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों (कौशल ज्ञान प्रदाताओं के रूप में) के साथ सहयोग करना और उद्योग में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण में एक विद्यार्थी द्वारा क्रेडिट अर्जित करने के उद्देश्य से प्राप्त योग्यता की मान्यता के लिए मानदंडो को परिभाषित करना;

(26) सीखने के परिणामों से समझौता किए बिना नई शिक्षा को बढ़ावा देने के अवसर के लिए क्रेडिट के हस्तांतरण के लिए मानदंड निर्धारित करना;

(27) महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुभव, ज्ञान और योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तय शर्तों पर सहायक या अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करना;

(28) राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना या ऐसे अन्य मानदंड जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडो के अनुसार कौशल शिक्षकों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के मूल्यांकन और मान्यता के लिए मानदंड निर्धारित करना;

(29) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रशिक्षण, परामर्श और सलाहकार सेवाओं सहित निर्देशों और अन्य सेवाओं के लिए छात्रों, संस्थान, उद्योग या निकाय कॉरपोरेट से शुल्क और अन्य शुल्क के भुगतान सहित अंशदान का निर्धारण, निर्दिष्ट, तय, मांग और प्राप्त करना, जैसा कौशल विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे;

(30) केंद्र एवं राज्य सरकार से उपहार, अनुदान, दान या उपकार प्राप्त करना और जैसा भी मामला हो, वसीयत, दान और वसीयतकर्ता, दाताओं या हस्तांतरणकर्ताओं से चल या अचल संपत्तियों का हस्तांतरण;

(31) कौशल शिक्षा की मान्यता एवं पहचान के लिए कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना स्वयं का विद्यालय (यों) स्थापित करना;

(32) अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर परिसरों और प्रशिक्षण केंद्रो सहित इस तरह की बुनियादी संरचनाओं की स्थापना और रखरखाव करना;

(33) फेलोशिप, छात्रवृत्तियाँ, प्रदर्शनों, पुस्कारों और पदक को संस्थापित करना और प्रदान करना;

(34) कौशल प्राप्ति के वैश्विक मानको तक पहुंचने के लिए संयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/विनिमय कार्यक्रमों की पेशकश में किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान के साथ समन्वय करना;

(35) विदेशी उम्मीदवारों सहित विनियम छात्रों के मामले में संस्थान के साथ क्रेडिट को पारस्परिक रूप से स्थानांतरित करना;

(36) योग्यता, ज्ञान और वैश्विक मानकों की क्षमता विकसित करने के उदेश्य से कौशल शिक्षा संस्थानों के साथ राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना;

(37) अपना खुद का निर्माण गृह, इन्क्यूबेशन केन्द्र, रिटेल हाउस या सेवा केन्द्र या कोई अन्य केन्द्र स्थापित करना जो युवाओं के कौशल और उद्यमशीलता के स्तर को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करे;

(38) पद सृजित करना और कार्य अनुभव वाले सक्षम अभ्यासियों या शिक्षकों सहित शैक्षणिक पूर्व-योग्यता के साथ या बिना कुशल पेशेवरों, सह/सहायक/प्राध्यापक/अभ्यास के प्राध्यापक, संकायाध्यक्ष, निदेशक, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण/कुशल शिक्षकेत्तर, प्रशासनिक, उस्ताद, प्रदर्शक, अनुशिक्षक और लिपिकवर्गीय कर्मचारी और ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना, जो कौशल विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो या विनियमों द्वारा निर्धारित किए गए हों;

(39) आवश्यकतानुसार, ऐसे प्रतिष्ठानों, उपक्रमों की स्थापना, रख-रखाव और प्रबंधन, जिनमें शामिल है-

(क) ज्ञान संसाधन केन्द्र;

(ख) कौशल विश्वविद्यालय प्रसार बोर्ड;

(ग) सूचना प्रभाग;

(घ) रोजगार मार्गदर्शन प्रभाग;

(ड) स्वायत मूल्यांकन बोर्ड;

(40) छात्रों के कल्याण, समग्र विकास के लिए ऐसे उपाय करना जिसमें देशभक्ति, आत्म-अनुशासन, सहकर्मी सम्मान, स्थायी जीवन, सेवा की भावना को बढ़ावा देना शामिल है, साथ ही रैगिंग, उत्पीड़न, भेदभाव या बहिष्कार, शारीरिक या मानसिक अथवा रचनात्मक उत्पीड़न जैसे विकास में बाधाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करना;

(41) कौशल विश्वविद्यालय की निधि या कौशल विश्वविद्यालय को सौंपे गए धन को सिर्फ अनुमोदित वित्तीय साधनों में निवेश करना जैसा उचित लगे एवं समय-समय पर किसी भी निवेश का निष्पादन करना;

(42) कौशल विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति या किसी समिति या किसी उप-समिति या उसके निकाय के किसी या अधिक सदस्यों या उसके अधिकारियों को अपनी सभी या कोई भी शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना;

(43) छात्रों के निवास के संबंध में प्रावधान करना एवं ऐसी स्थिति प्रदान करना जिसमें कौशल विश्वविद्यालय आवासीय सुविधाऐं खोलना चाहे;

(44) कौशल विश्वविद्यालय के मामलों और प्रबंधन को विनियमित करने और उन्हें बदलने, संशोधित करने और रद्द करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अनुसूची और विनियम बनाना;

(45) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करना।

9. **अंगीभूत/सहयोगी कौशल और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान** : कौशल विश्वविद्यालय जब कभी भी उपयुक्त और उचित समझे, राज्य के स्वामित्व वाले परिसरों, अंगीभूत महाविद्यालयों, सहयोगी महाविद्यालयों और विशेष शिक्षा से संबंधित विद्यालयों, पॉलिटेकनिक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०), व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, कौशल विकास, प्रसार, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, मान्यता प्रबंधन कर सकता है, जिसमें सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और ई-लर्निंग शमिल हैं। यदि डिग्रियाँ दी जानी हैं, तो ऐसे केन्द्रों या महाविद्यालयों की स्थापना या संबंद्धता लागू मानदंडो और मानकों के अनुसार की जाएगी जैसा शासी परिषद् सहित द्वारा निर्धारित किया गया है।

10. कौशल विश्वविद्यालय सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के लिए खुला होगा और जनता की सेवा में, समाज के गरीब तबके के लिए अपने पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षाशास्त्र में समावेषी होगा:

(1) कौशल विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वह किसी भी लिंग, नस्ल, पंथ, जाति या वर्ग के हो और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों, श्रमिकों या कौशल विश्वविद्यालय के मामलों के किसी भी अन्य संबंध में धर्म, विश्वास या पेशे के लिए कोई परीक्षा या शर्त नहीं लगाई जाएगी और किसी उपकार को प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव स्वीकार नही किया जाएगा जिनमें से, कौशल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की राय में, कौशल विश्वविद्यालय पर शर्तों या दायित्वों को लागू नहीं करने की शक्ति का अनादर है।

(2) कौशल विश्वविद्यालय में युवाओं के मेधावी लेकिन गरीब वर्गों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम शामिल होंगे, जिन्हें रोजगार परकता या उद्यमिता को सक्षम करने के लिए डिजाईन किया गया है।

11. कौशल विश्वविद्यालय का शिक्षण : कौशल विश्वविद्यालय में समस्त अध्यापन कौशल विश्वविद्यालय द्वारा और उसके नाम से इस संबंध में बनाई गई विनियमों और अनूसूची के अनुसार संचालित किया जाएगा।

12. कुलाधिपति:

(1) झारखण्ड के राज्यपाल कौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति उपस्थित होने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं प्रदान करने के लिए, कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) कुलाधिपति को कौशल विश्वविद्यालय के विषयों से संबंधित किसी भी मामलों के लिए प्रतिवेदन मांगने की शक्ति होगी।

13. कौशल विश्वविद्यालय के पदाधिकारी:

(1) कौशल विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष;

अध्यक्ष, कौशल विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(ख) कुलपति;

कौशल विश्वविद्यालय के स्नातक / स्नातकोतर / डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के संबंध में कुलपति का शैक्षणिक मामलों पर प्रभुत्व होगा।

(ग) प्रति कुलाधिपति;

प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा।

(घ) कुलसचिव;

(ङ) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी;

(च) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष; तथा

(छ) कौशल विश्वविद्यालय की सेवा में या नियामक रूप से परिभाषित पदों पर कार्यरत अन्य व्यक्ति, जिन्हें कौशल विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया गया हो।

(2) शासी परिषद् को, अध्यक्ष के माध्यम से, कौशल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य के लिए धारा 17 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन, सक्षम प्राधिकार के रुप में समझा जा सकता है जैसा कि अनुसूची के अनुसार निर्धारित किए जायेंगे।

14. कौशल विश्वविद्यालय के प्राधिकार:

(1) कौशल विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, अर्थात्:-

(क) शासी परिषद्;

शासी परिषद् कौशल विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय होगा।

(ख) सीनेट;

सीनेट कौशल विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगा।

(ग) व्यावसायिक शिक्षा परिषद्;

व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख व्यावसायिक शिक्षा वितरण निकाय होगा।

(घ) प्रत्यायक परिषद्;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकार जिसे अनुसूची द्वारा कौशल विश्वविद्यालय का प्राधिकार घोषित किया गया हो।

(2) धारा 17 के अनुसार निर्धारित प्रावधानों के अधीन, कौशल विश्वविद्यालय प्राधिकार के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य अनुसूची द्वारा निर्धारित होंगे।

15. **निरर्हताएँ** : कोई भी व्यक्ति कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार या निकाय का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, यदि वह-

(क) विकृत चित्त का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ख) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

(ग) अपने कार्यालय की अवधि के दौरान निजी कोचिंग में आर्थिक लाभ के साथ सम्मिलित है; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) किसी भी रूप में, कहीं भी, किसी भी परीक्षा के संचालन में, किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल होने या बढ़ावा देने के लिए, किसी भी दंड से दंडित किया गया है।

16. **समितियाँ** : कौशल विश्वविद्यालय के अधिकारी ऐसी समिति का गठन कर सकते है जो ऐसी समिति द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यो के लिए आवश्यक हो। ऐसी समिति का गठन और प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और कर्तव्यों का पालन इस प्रकार से होगा जैसा कि अनुसूची या विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

17. **अनुसूची:**

(1) अनुसूची में सभी परिवर्तन वेबसाईट पर या ऐसे कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित किए जाएँगे जैसा कि कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया है तथा उसे एक अधिकारिक अधिसूचना के रूप में समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन, नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से उचित अनुशंसा के अधीन औपचारिक अनुमोदन के आधार पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा किया जा सकता है।

(3) कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद्, नोडल एजेंसी के निदेशक मंडल से उचित अनुमोदन के बाद निम्नलिखित पर अनुसूची (इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची को छोड़कर) बना या संशोधित कर सकती है:

(क) कौशल विश्वविद्यालय का प्रशासन और प्रबंधन; एवं

(ख) उन सभी मामलों (इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन को छोड़कर) के लिए प्रावधान जो इस अधिनियम द्वारा अनुसूची के तहत निर्धारित किए जाने हैं।

18. **प्रवेश और छात्र संबंधित मामले:**

(1) कौशल विश्वविद्यालय में प्रवेश, जिसमें प्रति वर्ष विभिन्न प्रवेश चक्र, बहु-प्रवेश-बहु-निकास शामिल है, शासी परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रवेश नीति के आधार पर किया जाएगा।

(2) अनुशासन बनाए रखने, उपस्थिति, रैगिंग की रोकथाम आदि से संबंधित छात्र मामले ऐसे होंगे जिन्हें विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

19. **दीक्षांत समारोह:** कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, डिग्री, डिप्लोमा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में आयोजित किए जा सकते हैं।

20. **कौशल विश्वविद्यालय का सहयोग:** कौशल विश्वविद्यालय समसामयिकता और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रौद्योगिक प्लेटफार्मों की स्थापना, प्रबंधन या

विकास के लिए संयुक्त प्रमाणन/डिप्लोमा/डिग्री सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करेगा।

21. **वार्षिक प्रतिवेदन:** कौशल विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन सीनेट द्वारा तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य मामलों के अलावा, कौशल विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे और इसे शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसकी एक प्रति नोडल एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी।

22. **निधि और लेखा:**

(1) कौशल विश्वविद्यालय के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें जमा किया जाएगा-

(क) शुल्क, अनुदान, दान और उपहार से अपनी आय में अंशदान, यदि कोई हो;

(ख) राज्य या केन्द्र सरकार या किसी अन्य निगम या बहुपक्षीय एजेंसी या परोपकारी संगठन या किसी अन्य निकाय या ट्रस्ट के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या एजेंसी द्वारा किया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ग) दान और अन्य प्राप्तियाँ;

(घ) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परामर्श और अन्य कार्यों से प्राप्त कोई आय; तथा

(ङ) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कोई अन्य वितीय सहायता या अनुदान या कोई अन्य राशि।

(2) कौशल विश्वविद्यालय के पास ऐसी निधियाँ हो सकती हैं; जो अनूसूची और विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(3) कौशल विश्वविद्यालय की निधियाँ और सभी धन का प्रबंधन इस तरह से किया जाएगा, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित कौशल विश्वविद्यालय की नीतियों में हो।

(4) राज्य सरकार विभिन्न परिसरों में पूंजी निवेश की सुविधा, कौशल पाठ्यक्रमों, अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परिचालन व्यय सहित सहायता अनुदान प्रदान कर सकती है।

23. **वार्षिक लेखा:**

(1) कौशल विश्वविद्यालय के वित्तीय आय-व्यय का ब्यौरा सहित वार्षिक लेखाओं को सीनेट के निर्देशों के तहत तैयार किया जाएगा और वार्षिक लेखा का अंकेक्षण प्रत्येक वर्ष न्यूनतम एक बार कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद् द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा की जाएगी।

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वर्षिक लेखा की एक प्रति शासी परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) शासी परिषद् की टिप्पणियों के साथ वार्षिक लेखा और अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति नोडल एजेंसी को प्रस्तुत की जाएगी।

24. **कौशल विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों की नियुक्ति और सेवा निरंतरता के लिए योग्य प्रतिभा ही एकमात्र आधार होगा:** कौशल विश्वविद्यालय के सभी कार्मिक नियुक्तियाँ चाहे उन्हें किसी भी नाम और पदनाम से पुकारा जाए, केवल योग्यता के आधार पर, पदोन्नति और सेवा में निरंतरता, प्रदर्शन या आवश्यकता के आधार पर होगी।

25. **रिक्तियों के कार्यवाही को अमान्य नहीं करना:** इस अधिनियम के अधीन कौशल विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल किसी आधार पर अमान्य नहीं होगी-

(क) प्राधिकार या निकाय के गठन में रिक्ति या त्रुटि; या

(ख) चुनाव, नामांकन या उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में त्रुटि या अनियमितता; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में दोष या अनियमितता, जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

26. **सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण:** इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के

लिए कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कार्मिक के विरूद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

अनुसूची

परिनियम

1. **राजकीय लोक विश्वविद्यालय :** कौशल विश्वविद्यालय जनता की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में राज्य नोडल एजेंसी के माध्यम से वास्तविकता में पूर्ण स्वायत्तता एवं वितीय स्वतंत्रता के लिए राज्य नोडल एजेंसी को प्रत्योजित शक्तियों के माध्यम से राजकीय लोक विश्वविद्यालय के रूप में सार्वजनिक हित के कार्य करेगा।

2. **निगमन:** कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय खूँटी, झारखण्ड में होगा।

3. **अध्यक्ष की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:**

   (1) अध्यक्ष की नियुक्तिः-

   (क) अध्यक्ष की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

   (ख) अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले एजेंसी एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिससे नोडल एजेंसी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगीः

   (i) नोडल एजेंसी के दो नामित व्यक्ति; तथा

   (ii) शासी परिषद् का एक नामित व्यक्ति

   (ग) कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदर्श रूप से अपने उद्योग में अग्रणी होंगे विशेषकर किसी प्रतिष्ठित संस्थान या समान मानदण्ड के संस्थान के पूर्व छात्र होंगे साथ ही जिनकी उद्योग/उद्यमी पृष्ठभूमि भी होगी।

   (घ) तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद, वह नोडल एजेंसी द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिसकी अवधि की सीमा नोडल एजेंसी द्वारा तय की जाएगी।

(ङ) यह एक मानद पद होगा तथा कौशल विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में अध्यक्ष द्वारा किए गए सभी उचित व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और कौशल विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से भुगतान किया जाएगा।

(च) पहले अध्यक्ष की नियुक्ति नोडल ऐजेंसी द्वारा की जाएगी।

(छ) उसे दिए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो, यदि नोडल एजेंसी की राय है कि अध्यक्ष के पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नहीं हो सकता है, तो नोडल एजेंसी, लिखित में कारण बताते हुए आदेश द्वारा अध्यक्ष को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपना पद त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश जारी करने से पहले, अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(ज) अध्यक्ष, नोडल एजेंसी के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत एक लिखित साधन द्वारा नोडल एजेंसी द्वारा उनके त्याग पत्र की स्वीकृति से पद त्याग सकते हैं:

परन्तु यह कि अध्यक्ष उस तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

(झ) मृत्यु, दोषसिद्धी या अन्यथा के कारण अध्यक्ष के कार्यालय में अचानक रिक्ति होने की स्थिति में उप-धाराओं (क) और (ख) के अनुसार अध्यक्ष की नियमित नियुक्ति होने तक कुलपति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य:-

(क) अध्यक्ष, कौशल विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे और शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(ख) अध्यक्ष, शासी परिषद् की बैठक और जब कुलाधिपति उपस्थित न हों, डिप्लोमा, डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं प्रदान करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे:

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऐसे कार्यों का संचालन शासी परिषद् द्वारा नामित किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा:

परन्तु यह कि परिषद् द्वारा लिए गए किसी निर्णय के संबंध में बराबरी होने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(ग) किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों हेतु बाध्यकारी होगा।

(घ) अध्यक्ष के पास कौशल विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकार से कोई सूचना अभिलेख मांगने की शक्ति होगी।

4. कुलपति की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

(1) कुलपति की नियुक्ति:-

(क) कुलपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा नोडल एजेंसी के अनुमति से समिति की अनुशंसा पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(ख) कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, नोडल एजेन्सी एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिसमें नोडल एजेंसी कुलपति की नियुक्ति करेगी:

(i) नोडल एजेंसी का एक नामित व्यक्ति जो समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा;

(ii) अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति; और

(iii) शासी परिषद् का एक नामित व्यक्ति

(ग) कुलपति उद्योग में पूर्व/वर्तमान बोर्ड सदस्यता (ओं) के साथ समृद्ध प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। उपयुक्त व्यक्ति जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों या इसी तरह के प्रतिष्ठित संस्थानों के शिक्षक रहे हैं, पर विचार किया जा सकता है।

(घ) कुलपति के रूप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद, उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा तय की गई अवधि तक सीमित, पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य माना जा सकता है।

(ङ) प्रथम कुलपति की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।

(च) किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो, यदि नोडल एजेंसी की राय है कि कुलपति का पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नही हो सकता है, नोडल एजेंसी, लिखित में कारण बताते हुए एक आदेश द्वारा, कुलपति को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय को त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले कुलपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(छ) कुलपति नोडल एजेंसी के अध्यक्ष को संबोधित और उनके तहत लिखित एक साधन द्वारा अपना पद त्याग सकते है:

परन्तु यह कि कुलपति नोडल एजेंसी द्वारा अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

(ज) मुत्यु, दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण कुलपति के कार्यालय में अचानक रिक्ति होने की स्थिति में, नोडल एजेंसी कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को उप-धारा (क) एवं (ख) के अनुसार कुलपति की नियमित नियुक्ति होने तक कुलपति के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नही होगी।

(2) कुलपति की शक्तियाँ और कार्य:- कौशल विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने के संबंध में कुलपति का शैक्षणिक मामलों पर प्रभुत्व होगा-

(क) शासी परिषद् को विशेष रूप से मानदंडो एवं कौशल विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानकों के संबंध में परामर्श देना और उनका अनुपालन सुनिश्चत करना;

(ख) कौशल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशिक्षण और परामर्श डोमेन में कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की शुरूआत और शिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए संबंधित प्रमुखों/संकायाध्यक्षों के साथ समन्वय;

(ग) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के साथ पेश किए गए या पेश किए जाने वाले अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से संबंधित गुणवत्ता, मानदंडो और मानकों का पालन सुनिश्चित करना;

(घ) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए;

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों को पालन करने के लिए जो कौशल विश्वविद्यालय के अनुसूची और विनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

5. प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:

(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति:-

(क) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा नोडल एजेंसी के अनुमति से समिति की अनुशंसा पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी:

परन्तु यह कि प्रथम प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी।

(ख) प्रति कुलाधिपति के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, नोडल एजेंसी एक चयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेंगे, जिसमें से नोडल एजेंसी प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति करेगी:

(i) नोडल एजेंसी का एक नामित व्यक्ति जो समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा;

(ii) अध्यक्ष का एक नामित व्यक्ति; तथा

(iii) शासी परिषद् का एक नामित व्यक्ति

(ग) प्रति कुलाधिपति के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पात्रता मानदंड (अकादमिक/अनुसंधान/कौशल विशेषज्ञता/आदि) और उद्योग का अनुभव, विनियमों तथा अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(घ) प्रति कुलाधिपति के रूप में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के बाद, उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा तय की गई अवधि तक पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य माना जा सकता है।

(ङ) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा या नोडल एजेंसी से प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

(च) दिए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक हो, यदि नोडल एजेंसी की राय है कि प्रति कुलाधिपति का पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नही हो सकता है, तो नोडल एजेंसी लिखित में कारण बताते हुए एक आदेश द्वारा, प्रति कुलाधिपति को आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय को त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई से पहले, प्रति कुलाधिपति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(छ) प्रति कुलाधिपति नोडल एजेंसी के अध्यक्ष को संबोधित और उनके अधीन लिखित एक साधन द्वारा अपना पद त्याग सकता है:

परन्तु यह कि प्रति कुलाधिपति नोडल एजेंसी द्वारा अपने त्याग पत्र की स्वीकृति की तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

(ज) प्रति कुलाधिपति के कार्यालय में मृत्यु, दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण अचानक रिक्ति होने की स्थिति में, नोडल एजेंसी उप धारा (क) एवं (ख) के अनुसार प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति तक प्रति कुलाधिपति के रूप में कार्य करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर सकती है:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रति कुलाधिपति की शक्तियाँ और कार्य:-

(क) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा और कौशल विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य संचालन और नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

(ख) कौशल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों से संबंधित मामलों पर, जहां स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने का संबंध है, प्रति कुलाधिपति, कुलपति से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(ग) प्रति कुलाधिपति, कौशल विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों के निर्णयों को क्रियान्वित करेगा और कौशल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और अधिकारियों द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करेगा।

(घ) जहाँ प्रति कुलाधिपति की राय में किसी ऐसे मामले पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है जिसके लिए अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदान की गई है, वह ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह आवश्यक समझे, और, उसके बाद जल्द से जल्द अवसर पर, उसके द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को देगा, जो सामान्य तौर पर मामलों से निपटता है:

परन्तु यह कि यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकार की राय में प्रति कुलाधिपति द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो ऐसा मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु यह भी कि जहाँ प्रति कुलाधिपति द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ऐसा व्यक्ति उस तिथि से तीन माह के अंदर शासी परिषद् के समक्ष अपील करने का हकदार होगा, जिस तिथि को उसे ऐसी कार्रवाई की सूचना दी जाती है, तथा शासी परिषद् प्रति कुलाधिपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि या संशोधन या उलट सकती है।

(ङ) जहाँ प्रति कुलाधिपति की राय में, कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अधिनियम द्वारा ऐसे प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों के भीतर नहीं है या कौशल विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, वह अपने निर्णय की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अपने निर्णय को संशोधित करने के लिए संबंधित प्राधिकार से तत्काल अनुरोध करेगा, और यदि प्राधिकार ऐसे निर्णय को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने से मना करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है, तो ऐसे मामले को प्रति कुलाधिपति द्वारा अध्यक्ष को संदर्भित किया जाएगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

(च) प्रति कुलाधिपति व्यावसायिक शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष होगा और व्यावसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के संबंध में बराबरी की स्थिति में उसका निर्णायक मत होगा।

(छ) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय के अधिनियम, अनुसूची और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(ज) प्रति कुलाधिपति कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकर की किसी भी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, लेकिन जब तक वह उस विशेष प्राधिकार का सदस्य न हो मतदान का हकदार नहीं होगा।

(झ) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा या उसके खिलाफ सभी वादों और अन्य कानूनी कार्यवाही में, प्रति कुलाधिपति द्वारा अभिवचनों पर हस्ताक्षर और सत्यापन किया जाएगा और ऐसे वादों और कार्यवाही में सभी प्रक्रियाऐं प्रति कुलाधिपति को जारी की जायेंगी।

(ञ) प्रति कुलाधिपति की निम्नांकित शक्तियाँ होंगी-

(i) कौशल विश्वविद्यालय की योजना और विकास से संबंधित मामलों पर शासी परिषद् को विशेष रूप से कौशल विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानदंडो और मानकों के संबंध में परामर्श देना और उसका अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) कौशल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्रशिक्षण और परामर्श डोमेन में कार्यक्रम और पाठ्यक्रमों की शुरूआत और शिक्षण, अनुसंधान और विकास के लिए संबंधित प्रमुखों/ संकायाध्यक्षों के साथ समन्वय;

(iii) शैक्षणिक नेतृत्व और उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा प्रदान करना;

(iv) शासी परिषद् के पूर्वानुमोदन से समय-समय पर भारत और विदेशों में किसी भी विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, केन्द्र के साथ सहयोग के लिए प्रमुखों/ संकायाध्यक्षों के साथ समन्वय स्थापित करना;

(v) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों, अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और भारत अंतराष्ट्रीय केन्द्र आदि जैसे अन्य संस्थानों की सदस्यता के लिए आवेदन करना;

(vi) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित या पेश किए जाने वाले अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों से संबंधित गुणवत्ता, मानदंडो और मानकों का पालन सुनिश्चत करना;

(vii) मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना, आदि;

(viii) शासी परिषद् और सिनेट को छोड़कर कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी खंड या प्राधिकार की बैठक बुलाना या आयोजित करना;

(ix) सीनेट के पूर्व अनुमोदन से नियमित नियुक्ति करना, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है-

क) शिक्षण कर्मचारी के सभी पदों के लिए; तथा

ख) प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच अधिकारियों के पदों के लिए और तकनीकी सहायता कर्मचारी;

(x) सीनेट के पूर्व अनुमोदन से छात्रवृत्ति, फेलोशिप, पदकों और पुरस्कारों की पेशकश के लिए प्रावधान करना;

(xi) पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों, सलाहकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना जो कौशल विश्वविद्यालय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझे जाऐं;

(xii) सीनेट के अनुमोदन से शिक्षण कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी और तकनीकी सहायता कर्मचारी की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य नियम और शर्तें तय करना, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(xiii) ऐसे व्यक्तियों की सीनेट के अनुमोदन से अस्थायी नियुक्तियाँ करना, जिन्हें वह कौशल विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझे, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

परन्तु यह कि किसी भी अत्यावश्यक मामले में, प्रति कुलाधिपति ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए कर सकता है और ऐसी नियुक्तियों की सूचना सीनेट को अगली बैठक में दी जाएगी।

(xiv) निम्नलिखित को अवकाश प्रदान करना-

क) शिक्षण कर्मचारी; तथा

ख) प्रशासनिक कर्मचारियों और तकनीकी सहायक कर्मचारियों के बीच के अधिकारी तथा ऐसे कर्मियों की अनुपस्थिति के दौरान उनके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना;

(xv) विनियमों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को अनुपस्थिति की स्वीकृति देना और यदि वह ऐसा चाहता है, तो ऐसी शक्तियों को कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

(xvi) ऐसे अधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना, जिसका पद, सेवानिवृति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, जब तक कि ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती;

(xvii) कौशल विश्वविद्यालय में अनुशासन का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करना और कोई शक्ति ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना जो वह ठीक समझे;

(xviii) विनियमों के अनुसार कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी विद्यार्थी या कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करना और प्रारम्भ करना;

(xix) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करना;

(xx) कौशल विश्वविद्यालय के कर्तव्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों को करना।

6. कुलसचिव की नियुक्ति शक्तियाँ और कार्य:

(1) कुलसचिव की नियुक्ति:-

(क) प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति नोडल एजेंसी के द्वारा की जाएगी। प्रथम कुलसचिव के कार्यकाल के पूर्ण होने के उपरांत अध्यक्ष इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, की अनुशंसा पर तथा नोडल एजेंसी की अनुमति से आगामी कुलसचिवों की नियुक्ति करेंगे।

(ख) वह प्रति कुलाधिपति को रिपोर्ट करेगा।

(ग) वह कौशल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा या नोडल एजेंसी से प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

(घ) वह पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और नोडल एजेंसी द्वारा तय की गई अवधि तक सीमित होकर पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य होगा।

(ङ) किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने बाद जो आवश्यक हो, यदि प्रति कुलाधिपति की राय है कि कुलसचिव को पद पर बने रहना कौशल विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह एक कारण बताते हुए लिखित में आदेश द्वारा कुलसचिव को आदेश में निर्दिष्ट तिथि से अपने कार्यालय को त्यागने का निर्देश दे सकती है:

परन्तु यह कि कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले, प्रति कुलाधिपति यह सुनिश्चित करेगा कि कुलसचिव को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उसे नोडल एजेंसी का अनुमोदन प्राप्त हो।

(च) कुलसचिव अपने हस्ताक्षर के तहत और प्रति कुलाधिपति को संबोधित एक लिखित साधन द्वारा, अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है:

परन्तु यह कि कुलसचिव नोडल एजेंसी द्वारा अपना त्याग पत्र स्वीकार करने तिथि तक पद पर बने रहेंगे।

(छ) मृत्यु, दोषसिद्धि या अन्यथा के कारण कुलसचिव के कार्यालय में अचानक रिक्ति होने की स्थिति में प्रति कुलाधिपति, कौशल विश्वविद्यालय के किसी अन्य उपयुक्त अधिकारी या कर्मी को उप-धारा (क) के अनुसार कुलसचिव की नियमित नियुक्ति तक कुलसचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी।

(2) कुलसचिव की शक्तियाँ और कार्यः-

(क) कुलसचिव शासी परिषद् सीनेट, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् और प्रत्यायक परिषद् के सदस्य-सचिव होंगे, लेकिन उन्हें मताधिकार नहीं होगा;

(ख) कौशल विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाऐंगे और सभी दस्तावेजों और अभिलेखों को प्रमाणित किया जाएगा;

(ग) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का पालन करेगा-

(i) कौशल विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अभिलेखों, बैठकों की कार्यवाही, सामान्य मुहर और कौशल विश्वविद्यालय की सभी संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करना;

(ii) अध्यक्ष, कुलपति, प्रति कुलाधिपति या कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार के समक्ष, ऐसी सभी

जानकारी और दस्तावेज रखना जो उनके कार्यों के लेनदेन के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(iii) कौशल विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक पत्राचार करने के लिए और अधिनियम के प्रावधानों, अनुसूची और विनियमों के अधीन कौशल विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों के उचित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होना;

(iv) अध्यक्ष या प्रति कुलाधिपति के निर्देशानुसार शासी परिषद्, सीनेट, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् और किसी अन्य समिति या निकाय की सभी बैठकों के संबंध में सूचना जारी करना;

(v) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाही में कौशल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करना और ऐसे मामलों में पैरवी करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि की प्रतिनियुक्ति करना;

(vi) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों की एक पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना;

(vii) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रदान किए गए सभी प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री या किसी भी अकादमिक सम्मान का एक पंजी संधारित करना;

(viii) प्रति कुलाधिपति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, कौशल विश्वविद्यालय के कर्मियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण को रद्द करना एवं प्रारंभ करना;

(ix) प्रति कुलाधिपति और अध्यक्ष को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनके द्वारा वांछित सहायता प्रदान करना;

(x) तकनीकी सहायता कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच अधिकारियों के स्तर से नीचे के पदों पर व्यक्तियों को

नियुक्त करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

(xi) कौशल विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों के सेवा अभिलेखों का संधारण करना;

(xii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर शासी परिषद्, सीनेट या अध्यक्ष या कुलपति या प्रति कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;

(xiii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो कौशल विश्वविद्यालय के विनियमों तथा अनुसूची में निर्दिष्ट किए जा सकते है।

7. **मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति, शक्तियाँ और कार्य:**

(1) मुख्य वित्त अधिकारी और लेखा अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा, शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी, जैसा कि विनियमों और अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते है।

8. **प्रत्यायक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, शक्ति और कार्य:**

(1) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा, शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी, जैसा कि विनियमों तथा अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिसमें साख के सभी पहलुओं के संबंध में जैसे मानदंड और मानकों को निर्धारित करना, मूल्यांकन का तरीका तथा प्रमाणन आदि शामिल है, जैसा कि शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

9. **शासी परिषद्:**

(1) शासी परिषद् का गठन:-

(क) कौशल विश्वविद्यालय के शासी परिषद् में इसके प्रारंभिक संविधान के हिस्से के रूप में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे अर्थात्:-

(i) अध्यक्ष;

(ii) कुलपति;

(iii) प्रति कुलाधिपति;

(iv) नोडल एजेंसी के दो प्रतिनिधि;

(v) नोडल ऐजेंसी द्वारा नामित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या झारखण्ड के इसी तरह के समकक्ष संस्थान के एक प्रतिष्ठित पूर्व छात्र या शिक्षक;

(vi) झारखण्ड सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के दो अधिकारी;

(vii) उद्योग निकायों या फोकस क्षेत्रों की अनुशंसा पर अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन प्रतिष्ठित उद्योगपति;

(viii) कौशल विश्वविद्यालय से एक वरिष्ठ संकाय सदस्य; तथा

(ix) कौशल विश्वविद्यालय के कुलसचिव।

(ख) अध्यक्ष शासी परिषद् के अध्यक्ष होंगे और उसकी अनुपस्थिति में, उसके द्वारा नामित शासी परिषद् का कोई सदस्य इसकी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(ग) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, शासी परिषद् के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(घ) एक पदेन सदस्य तब तक बना रहेगा तब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(ङ) पदेन सदस्यों को छोड़कर मनोनीत सदस्यों मे से एक-तिहाई प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम से सेवानिवृत होंगे। पहले दो मामलों में, शासी परिषद् उन सदस्यों की पहचान करने की प्रक्रिया तय करेगी जो सेवानिवृत होंगे।

(च) एक सदस्य को अगले अनुवर्ती कार्यकाल के लिए फिर से नामित किया जा सकता है।

(छ) कोई सदस्य अपने हस्ताक्षर और अध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, लेकिन वह अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार करने की तिथि तक पद पर बना रहेगा।

(ज) ऐसे सदस्य की पदावधि के दौरान किसी सदस्य (पदेन सदस्य को छोड़कर) की सदस्यता समाप्त होने के कारण किसी भी कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति को उप-धारा (क) में शासी परिषद् के गठन के लिए प्रदान की गई पद्धति से भरा जायेगा:

परन्तु यह कि आकस्मिक रिक्ति के लिए नामित व्यक्ति ऐसे सदस्य के पद की शेष कार्याकाल के लिए सदस्य होगा, जिसके सदस्यता की समाप्ति के परिणामस्वरुप आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है।

(झ) शासी परिषद् यथासंभव एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(ञ) शासी परिषद् की बैठक के लिए अध्यक्ष के साथ न्यूनतम चार सदस्यों द्वारा कोरम पूरा किया जायेगा:

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक के लिए एक सभाध्यक्ष का चयन कर सकते है:

परन्तु यह कि सदस्य बैठक में व्यक्ति या टेलीकांफ्रेसिंग या विडियो कान्फ्रेंसिंग या किसी अन्य प्रकार की भागीदारी के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिक के किसी अन्य माध्यम से भाग ले सकते है।

(ट) शासी परिषद् के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाऐंगे:

परन्तु यह कि जिन मामलों में शासी परिषद् के निर्णय सर्वसम्मति से नही लिए जा सकते हैं, निर्णय बहुमत के माध्यम से

लिया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बैठक में भाग लेने वाले शासी परिषद् के कम से कम चार सदस्यों की कोरम द्वारा लिया जाएगा।

(2) शासी परिषद् की शक्तियाँ और कार्य:-

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शासी परिषद् को नोडल एजेंसी के निदेशक द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सकती हैं जैसे कि कौशल विश्वविद्यालय के मामलों और व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है।

(ख) कौशल विश्वविद्यालय की सभी संपति शासी परिषद् में निहित होंगी, जिसमें सक्षम प्राधिकारों की पूर्व स्वीकृति होगी।

(ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, शासी परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कार्यो का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

(i) कौशल विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों, समितियों और निकायों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करना;

(ii) उन मामलों में कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा निर्णयों की समीक्षा करना जहाँ कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय अधिनियम या अनुसूची या विनियमों के प्रावधानों के तहत शक्ति के अनुरूप नहीं है;

(iii) कौशल विश्वविद्यालय के बजट और वर्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;

(iv) कौशल विश्वविद्यालय द्वारा पालन और कार्यान्वित की जाने वाली नीतियों को निर्धारित करना;

(v) कौशल विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पदों को सृजन या समाप्त करना;

(vi) कौशल विश्वविद्यालय के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति करना;

(vii) सीनेट और कौशल विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों या प्राधिकारों को ऐसी शक्तियाँ सौंपना जो वह ठीक समझे;

(viii) कौशल विश्वविद्यालय के ऐसे सभी कार्य करना जो इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो;

(ix) सीनेट की अनुशंसा पर कौशल विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार अभ्यासियों को शिक्षक के रूप में, अभ्यास के प्रोफेसरों, एमेरिटस प्राध्यापकों, विजिटिंग प्राध्यापकों, विजिटिंग फेलो, अनुबंधित प्राध्यापकों आदि की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना;

(x) कौशल विश्वविद्यालय और आवश्यक अनुसंधान, शिक्षा ओर निर्देश के लिए ऐसे केंद्रो के प्रशासन और प्रबंधन करना जो कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं;

(xi) विश्वविद्यालय के व्यय को विनियमित करना और लेखा का प्रबंधन करना;

(xii) वचन पत्र, विनियम के बिल, चेक या अन्य परक्राम्य लिखतों को निकालना और स्वीकार करना, बनाना और समर्थन करना, छूट देना या बातचीत करना;

(xiii) सक्षम प्राधिकारों के पूर्व अनुमोदन के साथ कौशल विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों सहित या कौशल विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की जाने वाली संपत्ति के संबंध में हस्तांनातरण, स्थानांतरण, परिवहन, गिरवी, पट्टे, अनुज्ञप्ति और समझौतों को निष्पादित करना;

(xiv) कौशल विश्वविद्यालय के किसी भी कक्षाओं और विभागों को त्यागना और बंद करना;

(xv) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारों के साथ एकरारनामा करना;

(xvi) समीचीन समझी जाने वाली शर्तों पर किसी भी प्रकार की संपत्ति के अनुदान धन एवं प्रतिभूतियों को स्वीकार करना;

(xvii) कौशल विश्वविद्यालय की आत्मनिर्भरता को सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण, सीखने और सूचना प्रौद्योगिकी, रहने वाले बुनियादी ढाँचे, उपयोगिताओं, स्थापना, रख-रखाव और ऐसे अन्य खर्च, जिसमें ट्यूशन खर्च शामिल है, सीनेट द्वारा विद्यार्थी योगदान को मंजूरी देना;

(xviii) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे सभी कार्यो का निर्वहन करना जैसा अधिनियम में उल्लेखित है।

(घ) जब शासी परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है तो अध्यक्ष शासी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचालन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकता है। प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नही की जाएगी जब तक कि सर्वसम्मति से या शासी परिषद् के कम से कम चार सदस्यों के कोरम के मतदान के बहुमत से सहमति न हो। इस प्रकार परिचालित और स्वीकृत संकल्प उतना ही प्रभावी और बाध्यकारी होगा जैसा संकल्प शासी परिषद् की बैठक में पारित किया गया हो।

(ङ) शासी परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यो का प्रयोग करेगी जो समय-समय पर अनुसूची और विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते है।

(च) निदेशक मंडल के औपचारिक संकल्प के माध्यम से नोडल एजेंसी शासी परिषद् की संरचना में संशोधन कर सकती है।

10. सीनेट:

(1) सीनेट अपने प्रारंभिक गठन के भाग के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) प्रति कुलाधिपति;

(ख) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष;

(ग) मुख्य वित्त और लेखा अधिकारी;

(घ) नोडल एजेंसी द्वारा मनोनीत शासी परिषद् का एक सदस्य;

(ङ) कौशल विश्वविद्यालय के कर्मियों में से दो व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाऐंगे; तथा

(च) कौशल विश्वविद्यालय के कुलसचिव

(2) कुलपति, कौशल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मामलों से संबंधित, सीनेट मामलों की बैठकों में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होंगे, जहाँ स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने का संबंध है।

(3) प्रति कुलाधिपति सीनेट के अध्यक्ष होंगे, परन्तु यह कि अध्यक्ष अपने विवेक से, शासी परिषद् के किसी अन्य सदस्य को सीनेट के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकते हैं।

(4) सीनेट यथासंभव प्रत्येक तीन महीने में एक बार बैठक करेगी।

(5) सीनेट की बैठक के कोरम के लिए कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे। प्रति कुलाधिपति की अनुपस्थिति की स्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक के लिए एक अध्यक्ष का चयन कर सकते हैं। सदस्य व्यक्तिगत रूप से या टेलीकांफ्रेंसिंग या विडियो कांफ्रेंसिंग या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की किसी अन्य माध्यम से भाग ले सकते है:

परन्तु यह कि सीनेट के निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए:

परन्तु यह भी कि जिन मामलों में सीनेट के निर्णय सर्वसम्मति से नही लिए जा सकते हैं, बहुमत के माध्यम से लिये जाऐंगे, जिसमें इलेक्ट्रानिक मतदान प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सीनेट की बैठक में भाग लेने वाले सीनेट के कम से कम तीन सदस्यों के कोरम द्वारा लिया जाएगा।

(6) कौशल विश्वविद्यालय के विनियम, इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाई गई अनुसूची के तहत विनियमों द्वारा प्रदान किए जाने वाले

सभी मामलों से संबंधित, सीनेट द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे और शासी परिषद् द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

(7) एक औपचारिक प्रस्ताव के माध्यम से सीनेट शासी परिषद् की प्रारंभिक या अनुवर्ती संरचना में संशोधन कर सकती है।

(8) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, सीनेट ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और कौशल विश्वविद्यालय के ऐसे सभी कार्यो का निर्वहन करेगी जैसा कि अधिनियम, अनुसूची या समय-समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया है।

11. व्यवसायिक शिक्षा परिषद्:

(1) व्यवसायिक शिक्षा परिषद् में प्रति कुलाधिपति और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो सीनेट द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते है जैसा कि विनियमों और अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) प्रति कुलाधिपति व्यावसायिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों, अनुसूची और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अधीन, व्यावसायिक शिक्षा परिषद् कौशल विश्वविद्यालय का प्रमुख व्यावसायिक शिक्षा वितरण निकाय होगा तथा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन संबंधित मामलों में समन्वय तथा सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा।

(4) व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की बैठकों के लिए कोरम ऐसा होगा जो सीनेट द्वारा निर्दिष्ट की जाए।

12. प्रत्यायक परिषद्:

(1) प्रत्यायक परिषद् में प्रत्यायक संकायाध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे जो शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जो शासी परिषद् द्वारा समझे गए प्राधिकार को प्रतिवेदित करेंगे।

(2) प्रत्यायक संकायाध्यक्ष, प्रत्यायक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों, अनुसूची और इसके तहत बनाए गए विनियमों के अधीन, प्रत्यायक परिषद् मानदंडो और मानकों, मूल्यांकन और प्रमाणन के तरीके को निर्धारित करेगा, मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा और कौशल विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार, अन्य संस्थानों (प्रशिक्षण संस्थानों सहित) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संगठनों, उद्योग, राज्य और केन्द्र सरकारों की अन्य एजेंसियों, केन्द्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्य सरकारों आदि के अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और कौशल विश्वविद्यालय द्वरा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक शिक्षा की गुणवता और दी गई साख से संबंधित मामलों पर नियंत्रण और सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।

(4) प्रत्यायक परिषद् की बैठकों के लिए कोरम ऐसी होगी जो शासी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।

13. अनुसूची, विनियमों, आदि को अद्यतन करना तथा औपचारिक पत्राचार:

(1) अनुसूची विनियमों आदि में सभी परिवर्तन वेबसाइट या ऐसे किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित किए जाऐंगे जो कौशल विश्वविद्यालय की शासी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाऐंगे और जिसे एक आधिकारिक अधिसूचना के रूप में समझा जाएगा।

(2) इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए सभी संचार, घोषणाओं को अधिकारिक पत्राचार के रूप में समझा जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation (PREJHA Foundation) एक Non-Profit Organization है, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास करते रहना है। इसके तहत पढाये जाने वाले Branches का चयन आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा, जिसके लिए PREJHA लगातार उद्योग जगत की मांग का सर्वेक्षण करते रहेंगे। यह पूरा मॉडल शत-प्रतिशत Placement Ensure करने के आधार पर शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्य किये जाने का है, जिसमें Multiple Entry and Multiple Exit System की व्यवस्था रहेगी, जो National Education Policy-2020 के अनुरूप है। PREJHA की निर्णय लेने की प्रक्रिया में flexibility रहने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में Best Practices के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उक्त हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत वर्तमान में नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान यथा राजकीय पोलिटेकनिक, खूँटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर, पलामू का PREJHA Foundation के सहयोग से संचालन किये जाने एवं Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Bill, 2022 की आवश्यकता है।

अतः उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागान्तर्गत वर्तमान में नये राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों का PREJHA Foundation के सहयोग से संचालन किये जाने एवं Kaushal Vidya Entrepreneurship, Digital and Skill University Bill, 2022 के लिए अधिनियम गठित किया जाय।

अतः यह विधेयक

(हेमन्त सोरेन)
भार साधक सदस्य।

झा०रा०मु०राँची (विधि) 22(A)--220--23-03-2022 ।